न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः – 73/2023 प्रार्थना पत्र

GCMS No. – 2023/321

1. प्रियंका पुत्री मांगीलालजी धर्मपत्नी श्री नारायणलालजी धाकड़ निवासी सरसी हाल मुकाम कोचवा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ

–प्रार्थिया

बनाम

1. श्री लक्ष्मीलाल पुत्र श्री मांगीलालजी धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्रीमति विमला पुत्री श्री मांगीलालजी धर्मपत्नी श्री निलेश जी धाकड़ निवासी सरसी हाल मुकाम मेण्डकी पोस्ट तारापुर तहसील जावद जिला नीमच म.प्र.।
3. भूमिधारी तहसीलदार निम्बाहेडा निम्बाहेडा

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र. अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955

उपस्थित :– 1– श्री ऋषभ कुमार सेठिया – अधिवक्ता प्रार्थिया

2– श्री ज्ञानचंद धाकड़ – अधिवक्ता विपक्षी न. 1 व 2

:: निर्णय :: दिनांक :– 12.11.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजियात वाके मौजा सरसी पटवार हल्का सरसी तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 497 की आराजी नंबर 1588 रकबा 2.2100 हैक्टेयर, खाता संख्या 496 की आराजी नंबर 679 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, आराजी नंबर 680 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खाता संख्या 500 की आराजी नंबर 1548 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1552 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1555 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1564 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1566 रकबा 0.3800 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1570 रकबा 0.9600 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1598 रकबा 0.6700 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1624 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, आराजी नंबर 376 रकबा 0.2900 हैक्टेयर, आराजी नंबर 377 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, आराजी नंबर 462 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, आराजी नंबर 464 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, आराजी नंबर 466 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, आराजी नंबर 467 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, आराजी नंबर 670 रकबा 0.9100 हैक्टेयर, आराजी नंबर 681 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, आराजी नंबर 768 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, आराजी नंबर 783 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खाता संख्या 501 आराजी नंबर 1517 रकबा 0.6900 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1536 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1537 रकबा 0.4700 हैक्टेयर, आराजी नंबर 704 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, खाता संख्या 145 की आराजी नंबर 527/47 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, आराजी नंबर 542/527 रकबा 1.0500 हैक्टेयर स्थित है।

2. प्रार्थीया के दादाजी नानालालजी की मृत्यु सन 2004 मे हुई प्रार्थीया के पिता मांगीलाल जी की मृत्यु सन् 2021 में हुई। नानालाल[illegible] लि एवं उनकी छः ही लडकियों प्रतिवादी नं0 6 ता 11 ने प्रतिवादी नं0 4 व 5 व प्रार्थीया के पिता स्व०मांगीलाल के पक्ष में हक त्याग नानालालजी के खातेदारी [illegible] आराजीयात मे से दिनांक [illegible]2/2004 को किया, जिसका नामांतरणकरण राजस्व रेकार्ड में जरिये नामांतरणकरण संख्या 152 दिनांक 10/07/2015 से दर्ज हो गया। नानालाल के पुत्र सोहनलाल, बालुराम एवं स्व० मांगीलाल तथा नानानजी की छः ही लडकीया प्रतिवादी नं0 6 ता 11, गंगाराम पुत्र प्याराजी धाकड निवासी सरसी के हके खातेदारी के भी वारिस विरासत से हुवे। जिसमें

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:39:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

प्रतिवादी नं0 4, 5 व वादी के पिता स्व०मांगीलाल तथा प्रतिवादी नं० 6 ता 11 के नाम पर स्व० गंगाराम पिता प्याराजी की आराजीयात समान हक हिस्से अनुसार दर्ज हो गई। जिसमें भी प्रार्थीया का विरासत से हक हिस्सा निहित हैं। इसलिए विवादीत आराजीयात में प्रार्थीया का स्व० मांगीलाल की पुत्री होने से प्रतिवादी नं० 1 विपक्षी नं० 42. के बराबर हक हिस्सा निहित हैं।

3. खाता संख्या 497 में प्रार्थीया के पिता का 1/9 हक हिस्सा था। प्रार्थीया के पिता मांगीलाल जी की मृत्यु के बाद उनके चार वारिस प्रार्थीया प्रतिवादी नं० 1 एवं विपक्षी नं0 1 व 2 हैं, प्रार्थीया का उक्त खाते की जुमला आराजी में 1/36 वां हक हिस्सा है, खाता संख्या 496 के सम्पूर्ण हक के खातेदार नानालालजी थे, उनके बाद प्रार्थीया के पिता का 1/3 हक हुआ. प्रार्थीया के पिता के 1/3 हक में प्रार्थीया का 1/4 हक है, जो जुमला आराजी का 1/12 होता है खाता संख्या 500 में नानालालजी एवं गंगाराम पुत्र पोखर जी का सम्पूर्ण हक था. जिसमें प्रार्थीया के स्व० पिता मांगीलाल का 13/60 हक मिला। प्रार्थीया के पिता के 13/60 में से 1/4 हक होता हैं यानि प्रार्थीया का 13/240 हक हैं, तथा विपक्षी नं0 1 व 2 का प्रत्येक का 13/240–13/240 हक हिस्सा निहित हैं। खाता संख्या 501 में नानालालजी तथा गंगाराम पुत्र प्याराजी के 1/2–1/2 खातेदारी की थी, नानालालजी के हक हिस्से मे से प्रतिवादी नं0 6 ता 11 ने एवं नानालालजी की पत्नि ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी नं0 4.5 व प्रार्थीया के पिता मांगीलाल के पक्ष में हक त्याग कर दिया था। शेष 1/2 हिस्सा गंगारामजी पुत्र प्याराजी का हिस्सा उनकी मृत्यु के बाद विरासत से प्रतिवादी नं0 4 व 5 व प्रार्थीया के पिता स्व० मांगीलाल तथा प्रतिवादी नं0 6 ता 11 को समान 1/18–1/18 हक हिस्सा मिला। प्रार्थीया के पिता मांगीलाल का 1/3+1/18 जुमला 7/18 हक हिस्से में प्रार्थीया का 1/4 हक हिस्से अनुसार जुमला आराजी में 7/72 हक हिस्सा बनता है तथा विपक्षी नं0 1 व 2 का प्रत्येक का 7/72–7/72 हक हिस्सा होता है। खाता संख्या 145 प्रार्थीया के पिता के खातेदारी की थी जिसमें प्रार्थीया का 1/4 हक बनता हैं, विपक्षी नं0 1 व 2 का प्रत्येक का 1/4–1/4 हक हिस्सा बनता हैं। प्रार्थीया ने अपने उपरोक्त वर्णित हक हिस्से के विभाजन हस्ब प्रार्थीया तथा विपक्षी नं० 1 ता के समान हक हिस्से अनुसार अन्य समस्त सहखातेदारान् के शामलाती खातेदारी मे अंकित उनके हक हिस्से अनुसार घौषणा करा कर, विधीवत बटवाडा विवादित आराजीयात का कराने की कहा परन्तु विपक्षीगण टालचाल करते रहे, प्रार्थीया के बार बार कहने पर भी विपक्षीगण ने विवादीत आराजीयात का बटवाडा नहीं कराया, ना ही प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में दर्ज कराया। इसलिए प्रार्थीया को विपक्षीगण के विरुद्ध मजबुर होकर वाद पत्र धौषणा एवं विभाजन आराजीयात विवादित का करना पड़ा। प्रार्थीया हस्ब घौषणा खातेदारी अपने नाम की करा कर विधिवत घौषणा करा, बटवाडा करा कर पृथक पृथक अपने नाम की विवादीत आराजीयात राजस्व रेकार्ड में अंकित कराने की अधिकारीणी हैं तथा हस्ब विभाजन अपने हक हिस्से पर काबिज होने की अधिकारिणी है।

4. विपक्षी नं० 1 व 2 जो की प्रार्थीया के भाई व बहन है। विपक्षी नं० 1 व 2 ने प्रार्थीया व उनके पिता मांगीलाल पुत्र नानालाल धाकड निवासी सरसी का सन् 2021 में देहान्त हो जाने के बाद राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मे उपरोक्त वर्णित समस्त आराजीयात को अपने नाम पर अवैध रुप से बिना प्रार्थीया की जानकारी एवं बिना प्रार्थीया की सहमति के दर्ज करा कर विवादीत आराजीयात को विपक्षी नं० 1 व 2 के खातेदारी में दर्ज होने से अन्यत्र हस्तांतरित करने पर आमादा हैं, प्रार्थीया के मना करने पर भी नही मानते है तथा प्रार्थीया के हक हिस्से की आराजी को अवैध [illegible] हड़पना चाहते है अगर विपक्षीगण संख्या 1 व 2 सफल हो गये तो प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी, जिसका मुल्यांकन किसी भी प्रकार की मूद्रा में सम्भव नही होगा, तथा प्रार्थीया को नानाविध मुकदमे बाजीयों में उलझना पडेगा एवं मानसिक परेशानी झेलनी पडेगी, इसलिए प्रार्थीया विपक्षी नं०1 व 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने की अधिकारीणी हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:39:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

5. वादीया प्रार्थीया का वाद विपक्षीगणो के विरुद्ध प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित हैं तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष मे हैं, तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में भारी क्षति होने की संभावना हैं प्रार्थीया को होने वाली क्षति एवं हुई क्षति की पूर्ति किसी भी प्रकार की मुद्रा मे संभव नहीं हैं।

6. प्रकरण दर्ज किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी क्रमांक 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री ज्ञानचंद धाकड़ ने मूल वाद में अधिकार पत्र मय जवाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या 1 व 2 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि–

1- प्रार्थीया के मूल पुरूष नानालाल जी धाकड होना अस्वीकार है। प्रार्थीया मांगीलाल जी की पुत्री बताकर आई है परन्तु प्रियंका नाम की कोई पुत्री मांगीलाल जी के नहीं है, मांगीलाल जी की एकमात्र पुत्री का नाम विमला है तथा प्रार्थीया के दादा नानालाल जी नही है।

2- प्रार्थिया असत्य कथनों पर आधारित वाद व प्रार्थना पत्र लेकर प्रस्तुत हुई है तथा षडयंत्र के तहत जबरन विपक्षी न० 1 व 2 की पुश्तैनी पैतृक सम्पति में घुसकर उसे वादग्रस्त बनाना चाहती है जबकि इस प्रकार का कोई हक अधिकार प्रार्थीया को नहीं है। तथा उक्त सम्पति में प्रार्थीया का कोई हक अधिकार निहित नहीं है।

3- प्रार्थीया का कोई हक अधिकार उक्त सम्पति में नहीं है तथा प्रार्थीया स्वंय बदनियति पूर्वक जाईन्दा औलाद नही होने के बावजूद असत्य कथनों पर आधारित वाद पत्र / प्रार्थना पत्र पेश कर विपक्षी न० 1 व 2 को हरेश व परेशान कर रही है जबकि मांगीलाल जी के मात्र तीन वारिस है जिनमें उनकी पत्नि, पुत्र व पुत्री विमला है. यह वाद व प्रार्थना पत्र मात्र धनराशि हडपने की नियत से उक्त कृत्य किया गया है। तथा विपक्षी न0 1, 2 के पिता का नामान्तरण रद्दोबदल होकर विपक्षी न० 1 व 2 के नाम पर हो चुका है। तथा विपक्षी न० 1 व 2 प्रार्थीया को नहीं जानते है और न ही कभी बात हुई, उक्त कलम में वर्णित शेष तथ्य सरासर गलत होने से स्वीकार नही है।

4- स्व० मांगीलाल जी के वारिस विपक्षी न० 1 व 2 व उनकी पत्नि कंचन बाई है तथा इसके अलावा और कोई संतान व पत्नि मांगीलाल जी के नही थी, विशेष कथन में बाकी विवरण दिया जायेगा तथा उक्त कलम में वर्णित तथ्य बंटवाडा कराने हेतू कहा नितान्त असत्य कथन है, विपक्षी न० 1 व 2 प्रार्थीया को जानते तक नही है और न ही कभी बात हुई है इसलिए उक्त कलम में वर्णित तथ्य गलत होकर अस्वीकार है तथा किसी भी प्रकार का अनुतोष प्रार्थीया प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है और न ही किसी प्रकार की शांति प्रार्थीया को होने की कोई संभावना है। प्रार्थीया सरसी की निवासी नही है. मात्र मिलते जुलते नाम होने के कारण जबरन सम्पति को वादग्रस्त कर राशि हडप करना चाहती है।

5- प्रार्थीया विपक्षी न० 1 व 2 की कोई बहिन नही है तथा विपक्षी न० 1 व 2 काश्तकार होकर उनकी जीविका का एकमात्र साधन [illegible] भूमि है। इसलिए विक्रय करने एंव खुर्द बुर्द करने का प्रश्न ही [illegible] प्रार्थीया का कोई हक अधिकार नही होने से किसी भी प्रकार की क्षति [illegible] कोई संभावना नही है। उक्त वाद पत्र/प्रार्थना पत्र किसी जालसाल व लम्पट व्य[illegible] से राय लेकर प्रस्तुत किया गया है जो चलने योग्य नही है। तथा सुविधा का सन्तुलन विपक्षीगण के पक्ष में है। यदि अस्थायी

Signature Not Verified
Digitally signed by: Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:39:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो विपक्षीगण को अपूरणीय क्षति होगी तथा उन्हें अपने हक अधिकारों से वंचित होना पडेगा।

6- प्रार्थीया विपक्षी न० 1 व 2 की कोई बहिन नही है तथा विपक्षी न० 1 व 2 काश्तकार होकर उनकी जीविका का एकमात्र साधन उनकी कृषि भूमि है। इसलिए विक्रय करने एंव खुर्द बुर्द करने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है तथा प्रार्थीया का कोई हक अधिकार नही होने से किसी भी प्रकार की क्षति होने की कोई संभावना नही है। उक्त वाद पत्र/प्रार्थना पत्र किसी जालसाल व लम्पट व्यक्ति से राय लेकर प्रस्तुत किया गया है जो चलने योग्य नही है। तथा सुविधा का सन्तुलन विपक्षीगण के पक्ष में है। यदि अरथायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो विपक्षीगण को अपूरणीय क्षति होगी तथा उन्हें अपने हक अधिकारों से वंचित होना पडेगा।

7. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थिया के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाने का निवेदन किया तथा विपक्षीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया कि स्व. मांगीलाल जी के वारिस विपक्षी न. 1 व 2 व उनकी पत्नी कंचनबाई है तथा इसके अलावा और कोई संतान व पत्नी मांगीलाल जी के नहीं थी। प्रार्थिया स्वंय बदनियति जाईन्दा औलाद नहीं होने के बावजूद असत्य कथनों के आधार विपक्षी नं. 1 व 2 को हरेश व परेशान कर रही है, जबकि मांगीलाल जी के मात्र तीन वारिस है जिनमें उनकी पत्नी, पुत्र व पुत्री विमला है इसलिए प्रार्थिया विपक्षी न. 1 व 2 के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने का अधिकारी नही है।

उपर्युक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा के कानूनी बिन्दुओं विश्लेषण प्रकरण के तथ्यों के मद्देनजर आवश्यक प्रतीत होता है। किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण व अपरिहार्य बिन्दु है जिनका विशलेषण इस प्रकार है–

I. **प्रथम दृष्टया मामला**– हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं दस्तावेजो के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात प्रार्थिया की पुश्तेनी पेतृक आराजियात है जिसमें प्रार्थिया के पिता की नाम की आराजियात में प्रार्थिया का जन्म से हक अधिकार है और विपक्षी क्रमांक 1 व 2 ने प्रार्थिया के पिता की नाम की जमीन अपने नाम पर करवा ली और वह उक्त भूमि को विक्रय करने पर आमदा है जबकि प्रार्थिया का अपने पिता की जमीन में पुश्तेनी हक हिस्सा निहित है यदि विपक्षी क्रमांक 1 व 2 प्रार्थिया के हक हिस्से की आराजियात को विक्रय कर देता है और उसके हक हिस्से से जबरन बेदखल कर देता है तो प्रार्थिया को अपूर्णिय क्षति होगी इस प्रकार प्रार्थिया के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण बनता है।

II. **अपूरणीय क्षति**– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में प्रार्थिया को अपूरणीय क्षति होना द्वितीय शर्त है। विपक्षी क्रमांक 1 व 2 ने प्रार्थिया के पिता की नाम की जमीन अपने नाम पे करवा ली और वह उक्त भूमि को विक्रय करने पर आमदा है जबकि प्रार्थिया का अपने पिता की जमीन में पुश्तेनी हक हिस्सा निहित है यदि विपक्षी क्रमांक 1 व 2 प्रार्थिया के हक हिस्से की आराजियात को विक्रय कर देता है और उसके हक हिस्से से जबरन बेदखल कर देता है तो प्रार्थिया को विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में अपूरणीय क्षति होना साबित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:39:45 IST
Reason: SelfAttested

III. **सुविधा का संतुलन** :– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर प्रार्थिया के पक्ष में सुविधा का संतुलन का झुकाव होना तृतीय

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

शर्त है। विवादित आराजी में प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थिया के पक्ष में होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थिया के पक्ष में बनता है।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्वण कानूनी बिन्दुओं को विश्लेषण किया। तीनों बिन्दु प्रार्थिया के पक्ष में साबित होते है। पत्रावली के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि में प्रार्थिया एवं विपक्षी न.1 व 2 की शामलाति खातेदारी भूमि हैं इसलिए प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन बिन्दु भी प्रार्थिया के पक्ष में साबित हुए हैं। इसलिए प्रकरण में पूर्व में दिनांक 09.05.2023 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। जिसे न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रकरण में पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हे।उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–:आदेश:–

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति प्रार्थिया के पक्ष में साबित हो रहे है अतः प्रार्थिया अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र साबित होने से स्वीकार किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का अंतिम निधारण नहीं करता है हक अधिकार का प्रश्न वाद शहादत मूल वाद मे तय होगा तब तक मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके मौजा सरसी पटवार हल्का सरसी तहसील निम्बाहेड़ा की आराजी नंबर 1588 रकबा 2.2100 हैक्टेयर, आराजी नंबर 679 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, आराजी नंबर 680 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1548 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1552 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1555 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1564 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1566 रकबा 0.3800 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1570 रकबा 0.9600 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1598 रकबा 0.6700 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1624 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, आराजी नंबर 376 रकबा 0.2900 हैक्टेयर, आराजी नंबर 377 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, आराजी नंबर 462 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, आराजी नंबर 464 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, आराजी नंबर 466 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, आराजी नंबर 467 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, आराजी नंबर 670 रकबा 0.9100 हैक्टेयर, आराजी नंबर 681 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, आराजी नंबर 768 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, आराजी नंबर 783 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1517 रकबा 0.6900 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1536 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1537 रकबा 0.4700 हैक्टेयर, आराजी नंबर 704 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, आराजी नंबर 527/47 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, आराजी नंबर 542/527 रकबा 1.0500 हैक्टेयर भूमि की मूल वाद के निस्तारण तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:39:45 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा